पंजीयन कराने हेतु दिशा निर्देश

(मुख्यमंत्री युवा इन्जीनियर कांट्रेक्टर योजना)

मुख्यमंत्री युवा इन्जीनियर कांट्रेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित इन्जीनियर जिन्हे कि प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके तहत पंजीयन करा सकते है। पंजीयन कराने का चरणबद्ध बिन्दु निम्नानुसार हैः

1. निम्न लिंक पर क्लिक करेंः
   http://www.mponline.gov.in/Portal/Services/PWD/FRMCreateUserIdPwd.aspx

जो कि मुख्यमंत्री युवा इन्जीनियर कांट्रेक्टर योजना के पोर्टल एवं लोक निर्माण विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

2. लिंक को क्लिक करने एवं फार्म भरने पर रू 500 फीस की देने पर आई.डी एवं पासवर्ड बनेगा। इस आई.डी पासवर्ड से संपूर्ण फार्म भरने पर निम्न दस्तावेज अपलोड करें।
   (i) पैन कार्ड की कापी
   (ii) टिन सर्टिफिकेट की कापी
   (iii) 10 रू के शपथ पत्र
   (iv) चरित्र प्रमाण पत्र
   (v) यदि भागीदारी फर्म है तो फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफीकेट एवं भागीदारी डीड की प्रति
   (vi) यदि कंपनी है कंपनी का पंजीयन पत्र एवं एम.ओ.ए की छाया प्रति।
   (vii) यदि विद्युत श्रेणी में भी पंजीयन चाहते है तो म.प्र. शासन द्वारा जारी विद्युत लायसेन्स की छाया प्रति ।
   (viii) जारी किया गया प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।

3) उक्त दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात फार्म को सबमिट कर दें।

4) आपका फार्म लोक निर्माण विभाग के पंजीयन अधिकारियों द्वारा चेक करने के पश्चात एस एम एस द्वारा एवं अपने आई.डी पासवर्ड से Approval या Rejection चेक कर सकते है।

5.) यदि आपका पंजीयन Reject हो जाता है तो आपको पुनः 1 से 4 तक की प्रक्रिया को दोहराना होगा।

6). यदि आपका पंजीयन Approve होता है तो Eligibility Certificate निकाल कर उसमें दिये हुए निर्देशानुसार रू 25000 की एफ.डी.आर बनवा कर फार्म में दिये हुए लिंक पर अपलोड करें

http://www.mponline.gov.in/Portal/Services/PWD/FRMLoginPage.aspx?pageId=3

7) तत्पश्चात ऑनलाईन पंजीयन शुल्क रू 2100 जमा करें।

8). निम्न दस्तावेज चयनित जिले के कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. के यहां जमा कर कम्प्यूटर से जनरेटेड पावती प्राप्त करें।

   (i) मूल एफ.डी.आर

   (ii) बैंक द्वारा सत्यापित से 3 पासपोर्ट फोटो हस्ताक्षर सहित ।

(iii) उपर बिन्दु क्र.2 में (i) से (viii) तक अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति(शपथ पत्र मूल प्रति) में जमा करें।

9. आपका फार्म लोक निर्माण विभाग के पंजीयन अधिकारियों द्वारा चेक करने के पश्चात एस एम एस द्वारा एवं अपने आई.डी पासवर्ड से Approval या Rejection चेक कर सकते है।

10. यदि Rejection होता है तो आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ती पश्चात आपका पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा

11. यदि Approval होता है तो सीधे ऑनलाईन से अपना पंजीयन प्राप्त कर सकते है।

12. यदि आपके पंजियन फार्म का पहले ही Primary Approval ऑनलाईन हो चुका है तो आप सीधे ही बिन्दु क्र6 से 11 तक दिये हुए निर्देशों का पालन करें।

13. यदि आपके द्वारा पंजीयन का आई.डी बना लिया गया है एवं फार्म सबमिट नहीं किया गया है तो फार्म सबमिट का उपरोक्त सभी चरणों के अनुसार कार्यवाही करें।